Stone breaking & crushing

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2006/फाल्गुन 12, 1927

No. 194] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2006/PHALGUNA 12, 1927

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2006

का.आ. 278(अ).—सम्पूर्ण भारत में प्रस्तर खदानों में नियोजित कर्मचारियों को प्रतिदिन देय न्यूनतम उजरती मजदूरी दर और न्यूनतम प्रतिदिन गारंटित समय दर मजदूरी संसबंधी मसौदा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा यथापेक्षितनुसार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दिनांक 17 नवम्बर, 2005 के सां.आ. 1620(अ) की की अधिसूचना के अंतर्गत दिनांक 17 नवम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में सभी प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ और उनसे आपत्तियां तथा सुझाव प्राप्त करने के लिए, उक्त अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियों को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने के बाद से दो माह की अवधि तक के लिए प्रकाशित किया गया था;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां सर्वसाधारण के लिए 17 नवम्बर, 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि केन्द्र सरकार को जनता से कोई आपत्तियां सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) और धारा 4 की उप-धारा 1 के खण्ड (iii) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 1 अगस्त, 1997 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 542(अ) के अधिक्रमण में, इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व किए या निलोपित अनुसार, केन्द्र सरकार उक्त धारा 5 के परन्तुक के तहत यथापेक्षितानुसार उसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (6) में याथविनिर्दिष्ट प्रति कर्मचारी प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण करती है जो प्रस्तर खदानों में नियोजन से संबद्ध कॉलम (1) में उल्लिखित कर्मचारी श्रेणियों को देय होंगे ।

संशोधित न्यूनतम उजरती दर मजदूरी और न्यूनतम गारंटित समय-दर मजदूरी में, उस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के क्रमशः कॉलम (3) और (4) में उल्लिखित बुनियादी मजदूरी दर, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता तथा कॉलम (2) में उल्लिखित कार्य में लगी कर्मचारी श्रेणियों को देय उक्त तालिका के कॉलम (6) में दिए गए अनुसार न्यूतनम मजदूरी बनाने के लिए बुनियादी मजदूरी दर और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का अतिरिक्त 5 प्रतिशत तथा न्यूनतम उजरती दर मजदूरी के लिए उक्त तालिका के कॉलम (7) में

निर्धारित दर से विशेष भत्ता शामिल हैं । विशेष भत्ता मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा 1 अक्तूबर और 1 अप्रैल से शुरू होकर, प्रत्येक छः माह पर, प्रतिवर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को समाप्त छमाही के लिए औद्योगिक श्रमिकों संबंधी औसत उपभाक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा समायोजित किया जाएगा ।

तालिका

क्रम सं.	कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले उजरती (पीस) कार्य का स्वरूप	अगस्त, 1997 में यथासंशोधित मूल मजदूरी	मुख्य श्रमायुक्त (के.) द्वारा 01.04.2005 से यथासंशोधित वी डी ए	कुल (कॉलम 2+कॉलम 3)	प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी (कॉलम 4+5%)	औद्योगिक श्रमिकों के लिए 522 से इतर (आधार1982+100) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रत्येक बिंदु की वृद्धि के लिए विशेष भत्ता दर
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्खनन तथा 50 मीटर लेड/1.5 मीटर लिफ्ट* वाले भारी बोझ को हटाया जाना					
	i) मुलायम मिट्टी	65.00 रु	33.60 रु.	98.60 रु.	103.53 रु.	0.20 रु.
	ii) पत्थर सहित मुलायम मिट्टी	99.00 रु.	51.28 रु.	150.28 रु.	157.78 रु.	0.30 रु.
	iii) पत्थर	131.00 रु.	67.19 रु.	198.19 रु.	208.00 रु.	0.40 रु.
2.	1-5 मीटर लिफ्ट* वाले अस्वीकृत 50 मीटर लैड/पत्थरों का निकालना व स्टेकिंग	52.00 रु.	26.52 रु.	78.52 रु.	82.44 रु.	0.16 रु.
3.	स्टोन ब्रेकिंग या स्टोन क्रशिंग आकार की श्रेणी**					
	(i) 1.0 से 1.5 इंच	407.00 रु.	208.66 रु.	615.66 रु.	646.44 रु.	1.24 रु.
	(ii) 1.5 से 3.0 इंच	349.00 रु.	176.83 रु.	525.83 रु.	552.12 रु.	1.06 रु.
	(iii) 3.0 इंच से 5.00 इंच	203.00 रु.	104.33 रु.	307.33 रु.	322.69 रु.	0.62 रु.
	(iv) 5.0 इंच से ऊपर	167.00 रु.	84.88 रु.	251.88 रु.	264.47 रु.	0.51 रु.

*प्रति 2.831 क्यूबिक मीटर या 100 क्यूबिक फीट

**प्रति ट्रक 5.662 क्यूबिक मीटर या 200 क्यूबिक फीट लोड

व्याख्या :

1. मजदूरी की मूल उजरती दर में साप्ताहिक विश्रमा दिवस के लिए देय मजदूरी शामिल है ।
2. न्यूनतम मजदूरी दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी अनुप्रयोज्य हैं ।
3. जहां ठेका या समझौता या अन्य कारणवश मजदूरी की लागू दरें अधिनियम के तहत अधिसूचित दरों से ज्यादा हैं, वहां उच्चतर दरों को बनाए रखा जाना चाहिए और इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ न्यूतम मजदूरी दरें माना जाना चाहिए ।
4. न्यूनतम गारंटी मजदूरी, यानी, उजरती दर वाले सभी कर्मचारियों के लिए फॉल-बैक मजदूरी प्रत्येक कार्य श्रेणी के लिए तालिका के कॉलम 5 के तहत याथविनिर्दिष्टानुसार होगी ।
5. नियोक्ता, विस्फोटकों, डेटोनेटर, मिट्टी अटाने, जलरहित करने संबंधी शुल्कों आदि की लागत के नाम पर उक्त उजरती दर मजदूरी से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेगा । नियोक्ता, विस्फोट होल बनाने तथा जलरहित करने संबंधी सुविधाओं के लिए सामग्री की आपूर्ति करेगा ।
6. विकलांग कर्मचारियों को देय न्यूनतम मजदूरी दरें समुचित श्रेणी के श्रमिकों को देय दरों जितनी ही होंगी ।
7. उक्त तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित मजदूरी दिसम्बर, 2004 को समस्त माह के लिए औद्योगिक श्रमिकों संबंधी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 522 (आधार वर्ष 1982=100) की छमाही औसत पर आधारित हैं ।

[फा. सं. एस-32019/6/2003-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)]
अशोक साहु, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd March, 2006

S.O. 278(E).—Whereas the draft relating to fix the minimum piece rate of wages and minimum guaranteed time rate of wages per day payable to the employees employed in the stone mines in the whole of India were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th November,2005 as required by clause (b) of sub-section (i) of section 5 of the Minimum Wages Act,1948 (11 of 1948) under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1620(E), dated the 17th November, 2005 for

information of and inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected thereby, till the expiry of the period of two months from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 17th November, 2005;

And whereas no objections or suggestions have been received by the Central Government from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 3 read with clause (iii) of sub-section 1 of section 4 and sub-section (2) section 5 of the aforesaid Act, and in supersession of the notification number S.O.542 (E), dated the 1st August,1997,except as respects things done or omitted to be done before such super session, the Central Government as required under the proviso to the said section 5 hereby fixes the minimum rates of wages per day per employee as specified in column (6) of the Schedule annexed hereto, payable to the categories of employees mentioned against them in column (1) thereof, relating to the employment in the stone mines.

The revised minimum piece-rate wages and minimum guaranteed time-rate wages shall consist of basic rate of wages,, Variable Dearness Allowance (VDA) as set out in column (3) and (4) respectively of the Table annexed to this notification and an addition of 5 percent of basic rate of wages and Variable Dearness Allowance (VDA) to make minimum wages as given in column (6) of the said Table payable to the classes of employees engaged in the work mentioned against them in column (2) thereof and a special allowance at the rate set out in column (7) of the said Table for minimum piece rate of wages. The Special allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) (CLC (C)), at the interval of every six months commencing on the day of 1st October and 1st April on the basis of the average Consumer Price Index number for Industrial Workers (Base 1982=100) for preceding period of six months ending on the 30th June and the 31st December every year, respectively.

TABLE

Serial Number	Nature of Piece work done by an employee	Basic Wage as revised in August, 1997	Variable Dearness Allowance (VDA) (As revised by Chief Labour Commissioner (Central) w.e.f. 1.04.2005	Total (column 2+ column 3)	Proposed Basic Minimum Wage (Column 4+5%)	Rate of special allowance for every point rise of consumer Price Index Number beyond 522 for Industrial Workers (Base 1982=100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Excavation and Removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift*					
	(i) Soft Soil	Rs.65.00	Rs.33.60	Rs. 98.60	Rs.103.53	Rs.0.20
	(ii) Soft Soil with rock	Rs.99.00	Rs.51.28	Rs.150.28	Rs.157.78	Rs.0.30
	(iii) Rock	Rs.131.00	Rs.67.19	Rs.198.19	Rs. 208.09	Rs.0.40
2.	Removal and stacking of rejected stones with 5o meters lead/ 1 5 meters lift*	Rs. 52.00	Rs.26.52	Rs. 78.52	Rs. 82.44	Rs.0.16
3.	Stone Breaking or Stone Crushing size of category**					
	(i) 1.0 to 1.5 inches	Rs.407.00	Rs.208.66	Rs.615.66	Rs.646.44	Rs.1.24
	(ii) Above 1.5 to 3.0 inches	Rs.349.00	Rs.176.83	Rs.525.83	Rs.552.12	Rs.1.06
	(iii) Above 3.0 to 5.00 inches	Rs.203.00	Rs. 104.33	Rs.307.33	Rs.322.69	Rs.0.62
	(iv) Above 5.0 inches	Rs.167.00	Rs. 84.88	Rs.251.88	Rs.264.47	Rs.0.51

* Per 2.831 cubic meters or 100 cubic feet

** Per truck load of 5.662 cubic meters or 200 cubic feet

Explanation:

1. The basic minimum piece-rate of wages are inclusive of wages payable for the weekly day of rest.
2. The minimum rates of wages are applicable to employees employed by the contractors also.
3. Where the prevailing rates of wages based on contract or agreement or otherwise are higher than the notified rates under the Act, the higher rates should be protected and treated as the minimum rates of wages for the purpose of this notification.
4. The minimum guaranteed wage, namely the fall-back wage for all piece rated employees shall be as specified under column (6) of the Table against each category of work.
5. The employer shall not make any deductions whatsoever from the aforesaid piece-rate of wages on account of the cost of explosives, detonator, removal of soil, dewatering charges etc. The employer will supply material for blasting, drilling of holes and dewatering facilities.
6. The minimum rates of wages payable to disabled employees shall be the same as payable to workers of the appropriate category.
7. The above mentioned wages as set out in column (3) of the above Table are based on six monthly average of All India Consumer Price Index number 522 (base year 1982= 100)for Industrial workers for the month ending December 2004.

[F. No. S-32019/6/2003-WC (MW)]
ASHOK SAHU, Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.